संख्या: 81/2017/3483/12-2-2016-309/2007

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 24 नवम्बर, 2017

विषय: खरीफ, 2017 मौसम की प्रमुख फसलों की उत्पादकता के आंकलन हेतु आयोजित कराये जा रहे फसल कटाई प्रयोगों की कटाई स्तर पर जांच एवं प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया का बीमा कम्पनी के अधिकारियों द्वारा अवलोकन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में खरीफ, 2017 मौसम की फसलों पर फसल कटाई प्रयोग माह सितम्बर के अन्त से प्रारम्भ होंगे। प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसलों की उपज के आंकलन हेतु आयोजित फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता, पारदर्शिता व विश्वसनीयता सुनिश्चित कराये जाने हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन के समय स्मार्ट फोन का उपयोग सुनिश्चित कराते हुए भारत सरकार द्वारा बनाये गये फसल बीमा एप्प के माध्यम से भारत सरकार के केन्द्रीयकृत सर्वर पर प्रेषित किया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन के समय स्मार्ट फोन के क्रय हेतु ई-निविदा का आमंत्रण, राजस्व कार्मिकों में वितरण तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए इनके उपयोग में अभी लगभग 2 से 3 माह का समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि खरीफ, 2017 मौसम में फसल कटाई के प्रयोगों की सुतथ्यता व विश्वसनीयता को सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

(1) फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया में जनपदीय अधिकारियों द्वारा कटाई स्तर पर अधिक से अधिक संख्या में जांच सुनिश्चित की जाये।

(3) जनपद की बीमा कम्पनी के अधिकारी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों का कटाई स्तर पर अवलोकन सुनिश्चित किया जाये।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बीमा कम्पनी के अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा फसल कटाई प्रयोगों का कटाई स्तर पर अवलोकन हेतु नियोजित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किए गए फसल कटाई प्रयोगों से संबंधित आवश्यक विवरण यथा चयनित खेत, गांव, कृषक का नाम, ग्राम पंचायत, ब्लाक, तहसील का नाम, निर्धारित तिथि, राजस्व कर्मी के नाम आदि जिलाधिकारी कार्यालय (भूलेख अनुभाग) स्तर पर फसल कटाई की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध करायी जाये ताकि बीमा कम्पनी द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन के समय उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया का अवलोकन किया जा सके।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया खरीफ, 2017 मौसम की प्रमुख फसलों की उत्पादन के आंकलन हेतु आयोजित कराये जा रहे फसल कटाई प्रयोगों की कटाई स्तर पर जांच एवं प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया का जनपद की बीमा कम्पनी द्वारा अवलोकन किए जाने हेतु अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या: 81/2017/3483 (1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2.आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3.कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में सभी संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश निर्गत करें।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।